निर्णय दिनांक-27/3/2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी ओसियॉ के द्वारा प्रशासन गांवों के संग कैम्प जेलू गांगाडी में ग्रामं गंगाडी के ख0सं0 179/1 के सम्बन्ध में खाता दुरूस्ती बाबत पारित आदेश कमांक 88 दिनांक 1.6.2022 के विरूद्ध यह प्रथम अपील दिनांक 21.11.2025 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील पेश किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये अनुमति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार साथ ही अपील पेश करने में हुए विलम्ब को शमन करने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार यह कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी की ख0सं0 178 में रकबा 02 बीघा भूमि ग्राम जेलू गांगाडी में आई हुई है जों आबादी में संपरिवर्तन करवाई थी एवं अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहा हैं। अपीलाधीन आादेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही प्रकरण में पक्षकार बनाया गया था। उपरोक्त ख0सं0 178 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि दर्ज है, जिसमें से अपीलान्ट के द्वारा संपरिवर्तन कराये जाने पर ख0सं0 178/1 दर्ज हुआ। जिसको अपीलाधीन आदेश से रास्ते के रूप में दुरूस्त करने का आदेश दिनांक 1.6.2022 को पारित किया गया था। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का के द्वारा दी गई तब अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर दिनांक 6.11.2025 को नकले मिलने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई है अतः अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावें तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त न्यायहित में प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाता है।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि प्रशासन गांवों के संग कैम्प जेलू गंगाडी में एक प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम गंगाडी के ख0सं0 179/1 रकबा 1.5 बीघा के स्थान पर ख0सं0 178/1 की तरमीम शुद्ध करने का आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने न तो कोई मौका रिपोर्ट तलब की गई और न ही मौके की जॉच की गई। मौके पर ख0सं0 178/1 रास्ते की भूमि न होकर आबादी की भूमि है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। उक्त भूमि अपीलान्ट के द्वारा आबादी भूमि में दर्ज करवाई है, जिसको रास्ते की भूमि में वक्त सेटलमेन्ट से रास्ते के रूप में काम आने में कानूनी भूल की है। इसके अतिरिक्त ख0सं0 178/1 व ख0सं0 179/1 नक्शे में देखने मात्र से ही रास्ते के रूप में होना नहीं पाया जाता है। पटवारी हल्का के द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलान्ट की आबादी भूमि ख0सं0 178/1 को आबादी से हटाकर रास्ते की भूमि दर्ज करने का आदेश बताया तब अपीलान्ट को इस प्रकार के आदेश की जानकारी हुई। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2022 को निरस्त किया जावें।

5. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.6.2022 के सम्बन्ध में मुख्यतः यह आपत्ति की है कि वादग्रस्त ख0सं0 179/1 एवं 178/1 के सम्बन्ध में राजस्व नक्शा लटठा में पूर्व में तरमीम दुरूस्ती किये जाने से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखे जाने एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही वादग्रस्त भूमि की तहसीलदार से मौका जॉच करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जबकि ख0सं0 178 में अपीलान्ट ने 02.00 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तन करवाई गई और भूमि पर कब्जा एवं काश्त है तथा संपरिवर्तन पश्चात ख0सं0 178/1 दर्ज हुआ है। इस प्रकार वह अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है।

6. प्रकरण का अवलोकन किया गया। धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण का निस्तारण किये जाने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के प्रभावित पक्षकारान की उपस्थिति, पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे के अनुरूप तरमीम दुरूस्ती तथा किये जाने वाली कार्यवाही में पारदर्शिता होनी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

आदेश दिनांक 1.6.2022 को वादग्रस्त ख0सं0 178/1 की भूमि में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट जो कि उक्त भूमि का खातेदार है तथा उक्त भूमि को आबादी में संपरिवर्तन करवाये जाने का उल्लेख किया है, प्रकरण में न तो पक्षकार संस्थित किया गया है और न ही उन्हें अपना पक्ष रखे जाने का व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2022 को निरस्त करते हुए वादग्रस्त खसरा भूमि की तरमीम दुरूस्ती किये जाने से प्रभावित होने वाले खातेदारान/पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त खसरा संख्या 178/1 भूमि के सम्बन्ध में प्रभावित खातेदार/पक्षकारान को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः यथोचित आदेश पारित करे। निर्णय आज दिनांक 07.3.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिल चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर